आज दिनांक 15.11.2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.10.2019 के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–39 सह पठित ज्ञापांक–974(ई0) दिनांक–23.07.2019 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन पेड़ों के पुर्नस्थापन/पातन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वृक्ष सुरक्षा योजना पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति की भागलपुर में अध्यक्ष–सह–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

(अररिया जिलान्तर्गत अररिया–ठाकुरगंज नई B.G रेलवे लाईन परियोजना निर्माण के प्रस्ताव के वृक्ष सुरक्षा योजना।)

उपस्थिति :–

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर
2. वन संरक्षक, पूर्णियां अंचल, पूर्णियां
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया

सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर–सह–अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के समक्ष इस संबंध में प्राप्त निदेशों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया।

वन सरक्षक, पूर्णियां अंचल, पूर्णियां–सह–सदस्य द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया–सह–सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया–ठाकुरगंज नई B.G रेलवे लाईन परियोजना निर्माण कार्य स्थल हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत 8.243 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में पड़ने वाले वृक्षों की कुल 632 (छः सौ बत्तीस) जीवित पेड़ हैं। उक्त सभी पेड़ों का संयुक्त गणना वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अररिया द्वारा ज्ञापांक 350 दिनांक 04.06.2022 से समर्पित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं श्री नीतिश कुमार, एस०एस०ई०/डब्लू/ सी०एन०एफ०आर०, कटिहार के द्वारा दिनांक 15.06.2022 एवं 18.10.2022 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया है एव उनके पत्रांक 2523 दिनांक–19.10.2022 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित किया है, जिसे समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

0–60 से0मी0 तक गोलाई के वृक्षों के पुर्नस्थापन का प्रस्ताव दिया गया है। पुर्नस्थापन होने वाले पेड़ों की संख्या 458 (चार सौ अनठावन) है। 60 सें0मी0 से अधिक गोलाई के वृक्षों के पातन का प्रस्ताव है। पातित होने वाले पेड़ों की संख्या 174 (एक सौ चौहत्तर)है।

समिति द्वारा पाया गया कि पुर्नस्थापित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया है। विदित है कि कुछ प्रजातियों के पुर्नस्थापन की सफलता संदिग्ध होती है। साथ ही कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जो बड़ी आसानी से रोपित हो जाती हैं और बच भी जाती हैं। इनके प्रतिस्थापन की कोई आवश्यकता नही है। पानी गंभार, अमलतास, चकुंडी, जिलेबी, बकैन प्रजाति के प्रतिस्थापन का कोई औचित्य

नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावित वृक्ष सुरक्षा योजना में उक्त पाँच प्रजातियों के कुल 110 वृक्षों , जिनकी गोलाई 0–60 से0मी0 है, का पातन किया जायेगा। इस प्रकार पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 284 हो जाती है जबकि पुर्नस्थापित होने वाले वृक्षों की संख्या 348 होगी।

क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अररिया जिलान्तर्गत अररिया–ठाकुरगंज नई B.G रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु 8.243 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् समर्पित प्रस्ताव से संबंधित संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना पर उपर्युक्त संशोधन के साथ सहमति दी जाती है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति मिलने के उपरांत ही उसमें निहित शर्त्तों के अधीन ही पातन/पुर्नस्थापन की कार्रवाई की जायेगी। समिति की बैठक की कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को अवगत कराने हेतु सदस्य सचिव–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल को अधिकृत किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

15/11/22

सदस्य सचिव –सह–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

15/11/2022

सदस्य–सह–
वन संरक्षक,
पूर्णियां अंचल, पूर्णियां।

15/11/22

अध्यक्ष–सह–
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
भागलपुर।